

राजस्थान सरकार

अभियोजन निदेशालय राजस्थान जयपुर
क्रमांक:सं.27(3)(4)पदो/अभि/2022/ जयपुर, दिनांक:

-:आदेश:-

राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा नियम 1999 के नियम 32-33 के अंतर्गत सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर वर्ष 2022-23 की विभागीय पदोन्नति समिति कार्यवाही का पुनर्विलोकन(रिव्यू) करने हेतु आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंषा के आधार पर श्री लोकेश शर्मा पुत्र स्व. श्री केशव देव शर्मा की वर्ष 2022-23 में सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर वरिष्ठता श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र स्व.श्री इन्द्रजीत सिंह के नीचे निरस्त कर, इसी वर्ष 2022-23 में श्री विकास कुमार ओझा के नीचे निर्धारित की जाती है।

विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा पूर्व अन्य अनुशंषाओ को यथावत रखा गया है।

(रवि शर्मा)

निदेशक अभियोजन,
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. निजी सचिव, निदेशक अभियोजन, राजस्थान जयपुर।
02. अतिरिक्त निदेशक अभियोजन (न्याय/अभि), अभियोजन निदेशालय, राजस्थान जयपुर।
03. समस्त संयुक्त निदेशक अभियोजन।
04. समस्त उप निदेशक अभियोजन।
05. सम्बन्धित कार्मिक.....द्वारा:- सम्बन्धित कार्यालयध्यक्ष।
06. संस्थापन मंत्रालयिक शाखा (वरिष्ठ), अभियोजन निदेशालय, राजस्थान जयपुर।
07. आदेश/रक्षित पत्रावली।

निदेशक अभियोजन,
राजस्थान जयपुर

51

Signature valid

RajKaj Ref
5945641

Digitally signed by Ravi Sharma
Designation: Director
Date: 2024.03.05 15:24:19 IST
Reason: Approved